कार्यालय नगर परिषद, हिलसा (नालंदा)

होल्डिंग टैक्स की स्व–निर्धारण योजना संबंधी

महत्वपूर्ण सूचना

नगर विकास विभाग, बिहार के पत्र सं0 – 3275 दिनांक 05.10.2007 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 07 की उपधारा 127 के विभिन्न नियम अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं.– 46/12–3451 दिनांक 26.09.12 द्वारा अधिसूचित नियमावली के आलोक में तथा अधिसूचना सं. 236 द्वारा नगर परिषद, हिलसा क्षेत्र में पथों के वर्गीकरण के आधार पर किये गए धृतिकर (होल्डींग टैक्स) निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई है, तदनुरूप यह जिला गजट में भी प्रकाशित है। हिलसा नगर परिषद क्षेत्र में स्थित सभी भवनों पर मापी के आधार पर कर पुनरीक्षण हेतु गृह स्वामियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद, हिलसा द्वारा स्व – कर निर्धारण की योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सभी करदाता अपने–अपने भवनों के धृतिकर (मकान कर) का स्वयं कर गणना दिए गए उदाहरण के अनुरूप शुद्धता एवं शूचितापूर्वक कर संलग्न आवेदन पत्र को स्वामित्व संबंधी प्रमाण के साथ दिनांक 31.12.2013 तक जमा करें। नया धृतिकर दिनांक 01.04.2013 से ही प्रभावी माना जायेगा।

2. नगर परिषद, हिलसा द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि धृतिकर (मकान कर) निर्धारण कर दिए जाने का यह तात्पर्य नहीं होगा कि उस भूमि जिसपर मकान अवस्थित है कि स्वामित्व संबंधी वैधता को मान्यता प्रदान कर दी गई। स्वामित्व संबंधी वैधता सम्यक् विधि एवं सक्षम अधिकारिता वाले प्राधिकार/न्यायालय के विचाराधीन होगी।

3. जिन गृहस्वामियों का धृतिकर निर्धारण का स्वकर निर्धारण आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2013 तक नगर परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं होगा वैसे भवनों का नगर परिषद, हिलसा द्वारा अपने माध्यम से 2000.00 रूपये दंड अधिरोपन के साथ धृतिकर निर्धारित किया जायेगा एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई भी की जायेगी।

4. धृतिकर फर्श क्षेत्र (मकान के सभी मंजिलों को सम्मिलित करते हुए) के प्रति वर्गफीट के दर के अनुकूल वार्षिक किराया मूल्यांकन का (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि जोड़कर) 9% होगा।

5. मापी – कमरा – भीतरी लम्बाई X चौड़ाई की पूर्ण माप।
आधा फीट बरामदा – भीतरी लम्बाई X चौड़ाई की पूर्ण माप।
छज्जा, गलीयारा, रसोईघर का क्षेत्रफल (लम्बाई X चौड़ाई) का 50 प्रतिशत।
गोदाम – भीतरी लम्बाई X चौड़ाई की पूर्ण माप।
स्नानघर, शौचालय, सीढ़ीघर का मुक्त।

6. ऐसा घर जहां तालाबंदी पाई जाय, किसी कारण से कारपेट एरिया मापी नहीं हो तो कुर्सी क्षेत्र का 75% माप उस समय तक क्षेत्र मापी जाएगी।

5. स्व कर गणना प्रपत्र में अपेक्षित सूचना अंकित करने में कठिनाई होने की स्थिति में नगर परिषद कार्यालय, हिलसा से सम्पर्क कर आवश्यक सहयोग एवं जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य गणना हेतु दर तालिका (वार्षिक दर प्रति वर्ग फीट रूपया में)

भवन की बनावट	प्रधान मुख्य सड़क			मुख्य सड़क			अन्य सड़क		
	वाणिज्यिक या औद्योगिक	अन्य	आवासीय	वाणिज्यिक या औद्योगिक	अन्य	आवासीय	वाणिज्यिक या औद्योगिक	अन्य	आवासीय
आर सी0 सी0 छत वाला पक्का मकान	43.00	29.00	14.00	29.00	19.00	10.00	14.00	10.00	5.00
एस्बेटस या कोरगेटेड भवन	29.00	19.00	10.00	19.00	13.00	6.00	10.00	6.00	3.00
खंड 01 एवं 02 से भिन्न भवन	14.00	~~10.00~~	~~5.00~~	10.00	6.00	3.00	5.00	3.00	2.00

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हिलसा।